न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 27 / 2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018 / 00264

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
चन्दनसिंह पुत्र भोपालसिंह राजपूत निवासी जवड़िया तहसील पाली जिला पाली		1. भगवतसिंह पुत्र मानसिंह राजपूत निवासी जवड़िया तहसील पाली जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत गिरादड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गिरादड़ा तहसील पाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की ओर से मोहम्मद शरीफ काजी उपस्थित
अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 3-3-21

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 02 तथा मिसल संख्या 32 / 2012–2013 में पारित आदेश के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 05.06.2014 को जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश कि गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तथा ग्राम पंचायत गिरादड़ा का पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने कथन किया कि जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया उसका पट्टा संख्या 08 पूर्व में जारी किया हुआ है। जो पट्टे की फोटोप्रतियों में अंकित पड़ोस से स्पष्ट है इसी आराजी बाबत वाद संविदा 03.12.1958 की पालना का चला जो निर्णित होकर डिक्री हुआ इस बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128(3) एसआर एक्ट के न्यायालय सिविल जज पाली में विचाराधीन है प्रस्ताव रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्ताव संख्या 3 में अप्रार्थी भगवत सिंह के हक में किसी आराजी का पट्टा जारी करने बाबत लिया ही नहीं गया है। प्रस्ताव के अभाव में भी जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना विधि सम्मत हैं ग्राम पंचायत में मिसल उपलब्ध नहीं होना लिखा है। मिसल बनाई ही नहीं गई है तो उपलब्ध कैसे हो सकती है पट्टा 5754 वर्गफिट का जारी किया गया था। जिसके 639.33 वर्गगज का नाप पट्टे में अंकित है। अपने क्षेत्राधिकार से अधिक नाप की भूमी का पट्टा जारी किया गया है। नियम 157(1) में पुराने पुश्तैनी मकान के नियमितिकरण का प्रावधान है जबकि पट्टा बाड़ा का जारी किया गया है जो विधिविरूद्ध है अन्य किसी भी नियमों की पालना नहीं की गई जो मिसल उपलब्ध नहीं होने से समीक्षा नहीं की जा सकती है। पट्टे का शुल्क कितना लिया गया न प्रस्ताव में कहीं उल्लेखित है न ही पट्टे में उल्लेखित है उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

अप्रार्थी का नोटिस तामील दिनांक 26.06.2018 को होने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए बहस अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी जाकर निर्णय किया जाता है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गई। जैर निगरानी पट्टा बाबत प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.12.2012 लिया जाना उल्लेखित है उक्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्ताव में अप्रार्थी का नाम का कहीं उल्लेख नहीं है न ही मिसल संख्या 32 / 2012–13 को पट्टा जारी करने का उल्लेख है ऐसी स्थिति में प्रस्ताव के अभाव में जो पट्टा जारी किया गया उसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थी को पट्टा जिस [illegible] मिसल संख्या 32 / 2012–13 का उल्लेख कर जारी किया [illegible] में नहीं है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना की गई हो विवेचना किया जाना संभव ही नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:20:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश....................2

पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है लेकिन जैर निगरानी पट्टा संख्या 32 / 05.06.2014 में भूमी का नाप 639.33 वर्गगज अंकित है। जो क्षेत्राधिकार से अधिक भूमी का पट्टा जारी किया जाने से निरस्त योग्य है जैर निगरानी आराजी को बेच दिया गया है तथा इसी आराजी बाबत प्रार्थी के विरूद्ध संविदा की पालना का वाद चला जो निर्णित होकर डिक्री हुआ एवं बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 (3) एसआर एक्ट के न्यायालय सिविल जज पाली के विचाराधीन है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय अप्रार्थी से कितनी राशि ग्राम पंचायत द्वारा ली गई पट्टे में कहीं उल्लेखित नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत गिरादड़ा द्वारा तथाकथित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.12.2012 मिसल संख्या 32 / 2012–13 में पारित आदेशों तथा उनकी पालना में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 05.06.2014 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 3-3-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:20:03 IST
Reason: SelfAttested